Registered on :07.10.2010

Decided on : 02.06.2026

Duration : 15 years 07 month 25 days

Reg no. : 600/2019

CNR No. :UPLP040159072019

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–3, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थितः–प्रदीप कुमार कुशवाहा, (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

सरकार उ०प्र०----------अभियोगी

बनाम

1. कासिम पुत्र मुर्तिजा (मृतक) । निवासीगण ग्राम पड़रिया कला,
2. आजाद पुत्र कासिम । थाना फरधान, जनपद खीरी।
3. रहील पुत्र कासिम ।

---------अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–1195/2010

अं०धारा–323, 325.504, 506 भा०दं०सं०

थाना–फरधान, जिला– लखीमपुर खीरी।

निर्णय

(Delivered by Pradeep Kumar Kushwaha, Additional Chief Judicial Magistrate)

INDEX

Charge sheet file..... para 1
Brief statement of facts ..... para 2
Registration of Report..... para 3-4
Charge frame ..... para 5
Evidence closed.....para 6
Framing of 313 Crpc.....para 7
Prosecutin Evidence ..... para 8-13
Conclusion ..... para 14-17
Order ..... para 18-19

1- थाना, फरधान, जिला-लखीमपुर खीरी की पुलिस ने आरोप पत्र के द्वारा अभियुक्तगण कासिम पुत्र मुर्तिजा, आजाद व रहील पुत्रगण कासिम को मु०अ०सं०–1195/2010 अं०धारा–323,325,504,506 भा०दं०सं० में विचारण हेतु प्रस्तुत किया है। यहां इस तथ्य का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि दौरान विचारण अभियुक्त कासिम पुत्र मुर्तिजा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध वाद की कार्यवाही पूर्व में ही उपशमित की जा चुकी है।

2- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियुक्त वादी के रास्ते में कूड़ा कचरा फैलाते हैं। जब वादी ने मना किया तो गालियाँ देने लगे। जब वादी ने गालियाँ देने से मना किया तो प्रतिवादीगण वादी को लाठी डन्डों से मारने लगे। शोरगुल पर अन्य लोग आ गये जिन्होंने ललकारा तब विपक्षीगण वादी को छोड़कर गालियाँ देते हुये भाग गये।

3– वादी मुकदमा द्वारा मौखिक सूचना के आधार पर दिनांक 13–08–2010 को समय 21:40 बजे अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

4- विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया तथा दौरान विवेचना साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया गया बाद विवेचना, विवेचक द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये एवं जमानत पर रिहा हुये। अभियुक्तगण को नकलें देने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 07-11-2017 को धारा-323,325, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप विरचित किया गया जिससे अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

6. सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू० 1 इसरार खां, पी०डब्लू० 2 जमरतुन, पी०डब्लू० 3 अनवर अली को परीक्षित कर सशपथ बयान अंकित कराया गया है। तत्पश्चात् विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रपत्रों की औपचारिकता को स्वीकार किया गया तथा अभियोजन द्वारा साक्ष्य समाप्त का अंकन किया गया तत्पश्चात् अभियोजन के जोखिम पर साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

7. अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा- 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताते हुये साक्षी पी०डब्लू० 1 इसरार खां, पी०डब्लू० 2 जमरतुन, पी०डब्लू० 3 अनवर अली के द्वारा दिये गये बयान के बावत कुछ न कहे जाना, मुकदमा रंजिशन चलने का कथन करते हुये सफाई साक्ष्य न दिये जाने का कथन किया गया।

8. मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

9. अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा- 323,325,504,506 भा०दं०सं० का आरोप विरचित किया गया, जिसे साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 1 इसरार खां, पी०डब्लू० 2 जमरतुन, पी०डब्लू० 3 अनवर अली को परीक्षित कर सशपथ बयान अंकित कराया गया है जिनका विवरण निम्नवत् है-

10. **साक्षी पी०डब्लू० 1 इसरार खाँ (वादी मुकदमा) ने** अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि "घटना आज से साढ़े आठ वर्ष पूर्व की है। छः बजे शाम का समय था। घटना वाले दिन मैंने रास्ते में कपड़ा फैलाने व कूड़ा फेकने को कासिम, आजाद व रईल को मना किया। इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच कहासुनी होने लगी। उक्त लोगों ने मुझे गाली देते हुये लाठी डन्डों से मारने लगे। मना व शोर करने पर अबरार खां व मेरी पत्नी जबरतुन निशा व अनवर अली आये। घटना देखकर बीच बचाव किये। तब मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते भाग गये। मैंने थाने पर जुबानी सूचना दिया था जो

एनसीआर के रूप में लिखा गया था। एनसीआर की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न पत्रावली है जिस पर मेरा निशानी अंगूठा लगा है। गवाह ने पहचान लिया जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया। मेरी डाक्टरी पुलिस के माध्यम से जिला अस्पताल खीरी में हुआ था। एक्सरे भी जिला अस्पताल खीरी में हुआ था। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। घटनास्थल का निरीक्षण किया था। नक्शा बनाया था।"

10A. बचाव पक्ष द्वारा जिरह कराये जाने पर साक्षी ने कथन किया है कि, "घटना वाले दिन मुझसे व कासिम व रहील से रास्ते में कपड़ा फैलाने व कूड़ा फेकने को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। भीड़ में धक्का मुक्की पर मैं गिर गया था जिससे सिर व कन्धे पर चोट आयी थी। मुझे आजाद, रहील, कासिम ने न तो लाठी डन्डों से मारा था और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे। मेरे भाई अबरार खां पत्नी जननतुननिशा व अनवर अली घटना होने के बाद आये थे। घटना नहीं देखे थे। यह सही है कि हम लोगों के बीच सुलह हो गयी है कोई वाद विवाद नहीं है। मैंने अपने एनसीआर में लोगों के कहने पर मुल्जिमानों का नाम लिखवा दिया था। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था न ही नक्शा बनाया था। "

10B. अभियोजन द्वारा जिरह कराये जाने पर साक्षी ने कहा कि, "मैंने जो मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में बयान दिया है दोनों में से प्रतिपरीक्षा वाला बयान सही है। मुख्य परीक्षा वाला बयान लोगों के कहने पर दिया हूँ। यह सही है कि हम लोगों के बीच सुलह हो गयी है। यह कहना गलत है कि सुलह होने के कारण मैं सही बात न बता रहा हूँ।"

11. साक्षी **पी०डब्लू०-2 जमरतुननिशा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि, "घटना 15 साल पुरानी है। शाम छः बजे की है। उस समय मैं अपने घर पर थी। गांव में कुछ लोग मेरे पति के साथ मारपीट किये थे। उस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। मेरे गाँव के आजाद व रहीश मेरे पति के साथ मेरे सामने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दिये थे। मैंने कोई बीच बचाव नहीं किया था। पुलिस ने मेरा बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

12. अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया और बताया कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने यह बयान कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती हूँ। जब मेरे पति के साथ मारपीट हुई तो उस समय मैं अपने घर पर थी। शोर गुल सुनकर जब मैं मौके पर गयी तब वहां मुल्जिमान नहीं थे।"

13. साक्षी **पी०डब्लू०-3 अनवर अली** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान दिया है कि, "आज से करीब 14-15 वर्ष पूर्व समय करीब छः बजे शाम कासिम के दरवाजे पर शोर गुल की आवाज सुनकर मैं जो वहीं से निकल रहा था वहां पहुंचा तो देखा कि काफी लोग की भीड़ इकट्ठा है। मुल्जिम राहिल व आजाद ने न तो इसरार के साथ मारपीट की न तो गाली गलौज की थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था।" इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया एवं अभियोजन को जिरह की अनुमति दी गयी।

13A. अभियोजन द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह को धारा 161 दं०प्र०सं० का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने इंकार किया और बताया कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। दरोगा जी ने यह बयान कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकता हूँ।"

14. <u>**प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष यह संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है कि दिनांक 13.08.2010 को समय करीब 06.00 बजे शाम स्थान ग्राम पड़रिया कला अं०थाना फरधान जिला खीरी में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को मारपीटकर स्वेच्छया**</u>

<u>घोर उपहृति कारित की व उसे गंदी–गंदी गालियाँ दी व जान से मारने की धमकी देने का अपराध कारित किया गया?</u>

15. इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाह **पी०डब्लू० 1 इसरार खां (वादी)** ने मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण पर मारपीट, गाली गलौज और धमकी का आरोप लगाया था। किंतु, प्रतिपरीक्षा के दौरान इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि, **"घटना वाले दिन मुझसे व कासिम व रहील से रास्ते में कपड़ा फैलाने व कूड़ा फेकने को लेकर कहासुनी हुई थी। कहासुनी के दौरान भीड़ इकट्ठा हो गयी थी। भीड़ में धक्का मुक्की पर मैं गिर गया था जिससे सिर व कन्धे पर चोट आयी थी। मुझे आजाद, रहील, कासिम ने न तो लाठी डन्डों से मारा था और न ही जान से मारने की धमकी दिये थे।" पी०डब्लू० 2 जमरतुननिशा** ने मुख्य परीक्षा में ही घटना का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इसने बयान दिया कि, **"गांव में कुछ लोग मेरे पति के साथ मारपीट किये थे। उस समय मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। मेरे गाँव के आजाद व रहीश मेरे पति के साथ मेरे सामने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी नहीं दिये थे।"** साक्षी पी०डब्लू० 3 ने भी घटना के तथ्यों से इन्कार करते हुये स्पष्टतया कहा है कि, **"मुल्जिम राहिल व आजाद ने न तो इसरार के साथ मारपीट की न तो गाली गलौज की थी न ही जान से मारने की धमकी दी थी।** "इस प्रकारण साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण द्वारा मारपीट और धमकी देने की बात से पूरी तरह इनकार कर दिया। इन्होंने विवेचक (दरोगा जी) को किसी भी प्रकार का बयान देने की बात को गलत बताया।

16. यद्यपि कि बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की यथार्थता स्वीकार कर लिया गया है परन्तु घटना के तथ्यगत साक्षी द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से घटना को साबित करने हेतु किसी अन्य गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जहाँ तक बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रामाणिकता को स्वीकार किये जाने का प्रश्न है, इसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि मात्र अभियोजन प्रपत्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार कर लेने से ही अभियोजन कथानक संदेह से परे नहीं होता है, अपितु आपराधिक विधि का यह सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष पर यह दायित्व है कि वह अभियोजन कथानक को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करे। अभियोजन पक्ष द्वारा जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं। उनसे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है।

17. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-323,325,504,506 भा०दं०सं० के तहत लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप साबित नहीं होते हैं। अतः अभियुक्तगण आजाद व रहील पुत्रगण कासिम को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

आदेश

18. अभियुक्तगण **आजाद व रहील पुत्रगण कासिम** को **मु०अ०सं०–1195/2010,** अंतर्गत धारा **323,325, 504, 506 भा०दं०सं०** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके जमानतनामें एवं बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

19. अभियुक्तगण प्रत्येक धारा 437ए दं०प्र०सं० के प्रावधानों के अनुपालन में मु० 20,000/- रु० का स्वबंध पत्र व समान धनराशि की एक-एक प्रतिभू दाखिल करें।

Sd/-

दिनांक–02.06.2026 (प्रदीप कुमार कुशवाहा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–3

लखीमपुर–खीरी

J.O.Code– UP 2240

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

Sd/-

दिनांक–02.06.2026 (प्रदीप कुमार कुशवाहा)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं०–3

लखीमपुर–खीरी

J.O.Code- UP 2240

Digitally signed by Pradeep Kumar Kushwaha
Date: 2026.06.02 12:11:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court